

देशीय प्रचारी पदाधिकारी
भारत (नवम्बर)



बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 1.8.12

एस.ओ.सँ- I/एम-148/2011-1958 /रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं०-A(1) के अधीन भुगतये फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं: -

दस्तावेज का प्रकार	अधिकतम सीमा
औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय सस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (possession) नहीं दिये जाने का कथार हुआ हो	5000/-रु. (पाँच हजार रुपए मात्र)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(आभिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

एस.ओ.सँ- I/एम-148/2011- / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(आभिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

Notification

Patna, Dated: .../.../...

S.O. No. - I/M¹- 148/2011- 1958 /In exercise of the powers conferred by section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar is pleased to fix the limit of the fee payable under Article-A(1) of the Table of fees payable under the following: --

Kind of Instrument	Maximum fee
Mortgage deed when possession is not given or agreed to be given as aforesaid described under Article-40(b) of the schedule-IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institutions/banks for Industrial, Retail Housing or Commercial loans	Rs. 5000/- (Rupees five thousand)

By the order of the Governor

Sd./-
(Amir Subha
Principal Secretary to Government)

ज्ञापांक- I/एम¹- 148/2011- /, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अ
मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अ
प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए

ह0/-
(आमिर सु
सरकार के प्रध

ज्ञापांक- I/एम¹- 148/2011- /, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचि
विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
(आमिर सु
सरकार के प्रध

ज्ञापांक- I/एम¹- 148/2011- 1958 /, पटना, दिनांक- 1.8.2012
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्य
सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/मंत्री, निबंधक
निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(आमिर सु
सरकार के प्रध